प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
प्रयागराज।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
क्रिस्टी मेमोरियल स्कूल एण्ड कालेज,
करमा, हथिगन, पुरवाखास, नैनी, चाका, प्रयागराज।

पत्रांक मान्यता अंग्रेजी माध्यम/35741 /2018–19 दिनांक 20.11.18

विषय :मान्यता नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र दिनांक शून्य का संन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपने क्रिस्टी मेमोरियल स्कूल एण्ड कालेज, हथिगन, पुरवाखास, नैनी, चाका, प्रयागराज की मान्यता का नवीनीकरण करने हेतु अनुरोध किया है।

उक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांक 08.05.2013 के विन्दु–15 में उल्लिखित है कि ''प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।''

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होना चाहें।

भवदीय

(संजय कुमार कुशवाहा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
प्रयागराज

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इलाहाबाद

पत्रांक/मान्यता/ 18417-24 /2014–15 दिनांक 06-12-14

प्रबन्धक,

क्रिस्टी मेमा0 स्कूल एण्ड कालेज

हथिगन पुरवा खास, नैनी, चाका, इलाहाबाद।

विषयः–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम–2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 16.08.2014 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से क्रिस्टी मेमा0 स्कूल एण्ड कालेज, हथिगन पुरवा खास, नैनी, चाका, इलाहाबाद को तारीख 01.07.2015 से तारीख 30.06.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा प्री–प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल स्तर तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो को पूरा किए जाने के अध्याधीन है।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 (उपाबंध 1)और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम–2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पाड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसे प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालयकिसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम क धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक का विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होन तक, किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अधपक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों को पालन करता है, और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधांए निम्नानुसार हैं–

Scanned by CamScanner

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	–
कुल निर्मित क्षेत्र	–
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	–
कक्षाओं की संख्या	10
प्राध्यापक सह कार्यालय सह भण्डार के लिए कक्ष	03
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	है
पेयजल सुविधा	है
मिड डे मील पकाने के लिए रसोई	–
बाधारहित पहुंच	है

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता है

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टउ अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **62** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिखा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/ स्थानीय प्राधिकारों के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जांए।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(राजकुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
इलाहाबाद।

पृ0सं0/ /2014–15 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद।
5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद।
6. कार्यालय गार्ड फाइल।

(राजकुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
इलाहाबाद

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
इलाहाबाद।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
इलाहाबाद।

पत्रांकः 208/ग्रा0अ0वि0/सत्यापन/14–15   दिनांक : 26-9-14

विषयः– मान्यता प्रदान करने के पूर्व राष्ट्रीय निर्माण संहिता 2005 के अंतर्गत विद्यालय भवनों की जांच के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 13718–19/2014–15 दिनांक 18.09.2014 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में भवन का निरीक्षण कर आख्या निम्नवत् प्रेषित हैः–

1– <u>क्रिस्टी मेमोरियल स्कूल एण्ड कालेज, हथिगन पूर्वाखास, नैनी, इलाहाबाद</u>

उक्त विद्यालय में बारह कक्ष 23×28, एक कक्ष 31×23 एवं एक कक्ष 28×15 फिट के पक्के निर्मित हैं। इस प्रकार कुल 14 कक्ष निर्मित हैं। भवन में दो मूत्रालय एवं दो शौचालय बने हुए है। छात्रों को पानी पीने की समुचित व्यवस्था है। भवन संतोषजनक स्थिति में है।

भवदीय

26/9/14
(प्रमोद कुमार)
सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड इलाहाबाद।

Scanned by CamScanner